रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251655 SG-DL-E-31012024-251655

### असाधारण EXTRAORDINARY

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## विकास विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

फा.सं.1(149)/एएचडी/स्था0/भर्ती नियम निदेशक/2021/152—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पिठत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा जहां तक उप—ितदेशक (पशुपालन) पद के संबंध में दिनांक 8 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं. फा. 54(48)/02/वि0मुख्या0/पार्ट फाइल/2288 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विकास विभाग में उप—ितदेशक (पशुपालन) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--
  - (क) इन नियमों को उप—निदेशक (पशुपालन), पशुपालन इकाई, विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
  - (ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. अनुप्रयोग :- ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

573 DG/2024 (1)

- 4. भर्ती पद्धित, आयु—सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- **5. अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिक्त :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
  - 7. बचाव :- इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

T	-3 &		
1. पदनाम	उप–निदेशक (पशुपालन)		
2. पदों की संख्या	05* (2023)		
	* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर		
3. वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह—'क'		
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर-11		
	(रुपये 67700—208700 / —) + एनपीए		
5. क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन पद		
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं		
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं		
<ol> <li>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।</li> </ol>	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं		
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	लागू नहीं		
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या	पद्धति	प्रतिशत	
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पदोन्नति	100	
11. यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन	नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्षों		
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है			
	टीप :- जिन किनष्ट अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ट अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।		

12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो	विभागीय पदोन्नति समिति :	
तो इसकी संरचना क्या है।	1. अपर मुख्य सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (वित्त),	
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सराकर	
	2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी	
	क्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य
	3. विशेष / अपर सचिव, (सेवाएं)	– सदस्य
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना	आवश्यक नहीं है।
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना		
है।		

टीप :— दिनांक ८ जनवरी, २०१३ की अधिसूचना सं० फा० 54(४८)/०२/वि०मुख्या०/पार्ट फाइल/२२८८ को इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात निरस्त कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, राम प्रसाद मीणा, विशेष विकास आयुक्त

### **DEVELOPMENT DEPARTMENT**

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd January, 2024

- **F. No. 1(149)/AHD/Estt./RR Dir./2021/152.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24<sup>th</sup> September, 1968 and in supersession of the Notification No. F.54(48)/02/Dev.HQ/Pt.file/ 2288 dated 8<sup>th</sup> January, 2013 in so far as they relate to the post of the Deputy Director (Animal Husbandry), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Deputy Director (Animal Husbandry) in the Development Department under the Government of National Capital Territory of Delhi as showing, namely:-
  - 1. Short title and commencement (a) These rules may be called the Animal Husbandry Unit of Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Deputy Director (Animal Husbandry), Recruitment Rules, 2023.
    - (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. Application These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
  - 3. Number of post, classification and level in the Pay Matrix: The number of post, its classification and the level in Pay Matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
  - **4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
  - 5. Disqualification No person, -
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
      - shall be eligible for appointment to the said post;
    - Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
  - **6. Power to Relax -** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

1.	Name of Post	Deputy Director (Animal Husbandry)			
2.	No. of Posts	05 * (2023)			
		` ′	*subject to variation dependent on workload		
3.	Classification	General Central Services Non-Ministerial Gazetted Group, A			
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level - 11 (Rs. 67700-208700) + NPA			
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post	Selection Post			
6.	Age Limits for Direct Recruits	Not Applicable			
7.	Educational and other Qualifications required for direct recruits	Not Applicable			
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Age: NA Edu. Qual. : NA			
9.	Period of Probations, if any	Not Applicable			
10.	Method of Recruitment, whether by direct	Method	Percentage		
	recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods.	Promotion	100		
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Promotion:  Veterinary Officer in the Pay Level-10 (Rs. 56100-177500) in the Pay Matrix with 05 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.  Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service more than half of such qualifying /eligibility service or 02 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.			
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	1. Addl. Chief Secretary (Finance) / Pr. Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman  2. Administrative Secretary concerned Government of National Capital Territory of Delhi - Member  3. Special/Addl. Secretary (Services) - Member			
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.			

**Note:** The notification No.F.54(48)/02/Dev.HQ/Pt.File/2288 dated 8<sup>th</sup> January, 2013 shall be superseded after issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAM PRASAD MEENA, Special Development Commissioner